भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि और विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

फाइल सं. 24(708)/2006-सीडीएन/68 दिनांकः- 22/02/08

## कार्यालय आदेश सं. 2/08

विषयः- लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में अंतरण- कन्वेंस डीड का निष्पादन।

मौजूदा अंतरण प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित अनुभागों द्वारा आवेदनों की जांच/प्रक्रम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिये नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है और शाखा अधिकारियों द्वारा कॉल लेटरों पर हस्ताक्षर कर अंतरण के लिए अनुमोदित किए जा रहे हैं जिनमें आवेदक/उनके अटार्नी, जैसा मामला हो, को फ्रीहोल्ड कन्वेंस डीड के निष्पादन के लिए इस कार्यालय में बुलाया जाता है। उन्हें कन्वेंस डीड के निष्पादन के लिए कुछ मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इस प्रयोजन के लिए अंतरण प्रकोष्ठ सृजित किया गया है। अंतरण प्रकोष्ठ द्वारा कन्वेंस डीड के निष्पादन के लिए तारीख और समय का उल्लेख करते हुए कॉल लेटर जारी किए जा रहे हैं।

2. निष्पादन की तारीख को कन्वेंस डीड के निष्पादन के लिए पट्टेदार/उनके जीपीए को कॉल लेटर में उल्लेखित मूल लीजडीड/प्रतिस्थापन/म्यूटेशन पत्रों, सामान्य/विशेष पावर ऑफ अटार्नी और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ गवाहों के साथ इस कार्यालय आना अपेक्षित होता है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यालय से संबंधित कार्य का सुचारू निपटान हो, यह निर्णय लिया गया है कि कार्यपालक अधिकारी और संबंधित सहायक, प्रथम द्रष्टया, सुनिश्चित करें कि मामला ठीक है और उसके समक्ष सभी दस्तावेज उपलब्ध/प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, कार्यपालक अधिकारी को लीज़होल्ड का निष्पादन करते समय व्यक्तियों और गवाहों की पहचान का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, कार्यपालक अधिकारी को उसके द्वारा देख लिए गए दस्तावेजों/पहचान के सत्यापन संबंधी प्रमाणपत्र भी प्रदान करना चाहिए।

4. इसे भूमि और विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप-भूमि और विकास अधिकारी

सेवा में,

सभी अधिकारी/अनुभाग